दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 27-07-2025

# पुलिसकर्मियों का अवकाश नकदीकरण नहीं, एसएसपी को अवमानना नोटिस

## 300 दिन के अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं दिया गया

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के अवकाश नकदीकरण के भुगतान में देर करने पर हाई कोर्ट ने बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश जारी किया।

याचिका के अनुसार पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक बैजनाथ राय, निरीक्षक रघुनंदन शर्मा, सहायक उप निरीक्षक हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित कुल 33 पुलिसकर्मियों ने मध्य प्रदेश राज्य के समान 300 दिन के अवकाश नकदीकरण का लाभ देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता धीरेन्द्र पांडेय व विजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए दलील दी थी कि मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की तरह छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को भी 300 दिन के अवकाश नकदीकरण का लाभ मिलना चाहिए। मामले में हाई कोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को सुनवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को निर्देशित किया था कि वे सुप्रीम कोर्ट के फगुआ राम प्रकरण के आदेश के अनुरूप 90 दिन के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निराकरण कर अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान करें। कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद एसएसपी बिलासपुर द्वारा निर्धारित अवधि में न तो अभ्यावेदन का निराकरण किया गया और न ही अवकाश नकदीकरण की राशि का भुगतान किया गया। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की बेंच ने प्रथम दृष्टया आदेश की अवहेलना मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।